



न्यास की ग्राम कंसुआ योजना में खसरा नं. 103 में ग्रुप हाउसिंग योजना हेतु भूखण्ड संख्या 1 प्राप्त करने का



खसरा उत्कल विकास केन्द्र

नीलामी दिनांक	बोली का समय	स्थान	प्रारम्भिक बोली दर	दो त्रफल (लगभग)
29.07.2016	12:00 से 2:00 बजे तक	चास नीलामी हॉल	10800/- प्रति वर्ग मी.	(Area 4996.50 व.मी.)



नीलामी की मुख्य शर्तें :-

(1) बोलीदाता स्वयं उपस्थित होगा। अमानत शाशि रु. 15.00 लाख डी.डी./पे आईर सिंह नगर विकास न्यास, कोटा के नाम दिनांक 11:00 मध्याह्न 12:00 बजे तक जमा होगी। बोली का समय आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोली में भाग लेने हेतु निर्धारित नीलामी प्रपत्र घरफोटो बोलीदाता का ऐनकार्ड की प्रति एवं परिचय पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से प्राप्तित कर प्रपत्र भारकर नीलामी हॉल में धरोहर राशि के अतिरिक्त 500/- रजिस्ट्रेशन राशि उसी दिन कार्यालय समय दोपहर 11:00 बजे से 12:00 बजे तक जमा करवाकर टोकन पापत करना होगा। बोलीदाता नीलामी हॉल में 12:00 बजे तक आवश्यक लघु से उपस्थित होवे अन्यथा आपको अनुपस्थित मान कर आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी। रजिस्ट्रेशन राशि 500/- का वापस देय नहीं होगी। बोलीदाता को एकमात्र की प्रति एवं स्वयं का पहचान पत्र नीलामी फर्म के साथ संलग्न करनी होगी तथा मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल का उपयोग बन्द रहेगा। कई बार यह भी देखा गया है कि नीलामी के उपरात पत्र में नाम परिवर्तन हेतु निवेदन कियाजाता है, जो संभव नहीं होता है। अतः नीलामी में बाय सेने वाले विवित द्वारा आवेदन फर्म की प्रति पूर्ण रूप से सोच-समझ कर करे। इसके बाद में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(2) एकल बोली स्वीकार /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
(3) किसी सस्था /कम्पनी फर्म की ओर से बोली लगाने वाला अधिकृत होने का अधिकृत-पत्र पेशकरण जो नोटेशन द्वारा सत्यपित होगा। सरका /कम्पनी फर्म के विधान की सत्यपित प्रति पेश करनी होगी।
(4) कार्यनी /सस्था द्वारा नीलामी में भाग लेने पर दूसरा व्यक्तिपत्र/कार्यक्रम ही होगा। किसु दो से अधिक व्यक्ति कार्यनी नहीं भेज सकते। पहला व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति हो सकता है।
(5) प्रथम बोली रु 10800/- प्रति वर्ग मीटर से अधिक होगी तथा प्रत्येक बोली रु. 50/- प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होगी।
(6) सफल बोली दाताओं को कुल राशि का 25 प्रतिशत भाग मौके पर ही जमा करवाना होगा।
(7) बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अद्यक्ष नगर विकास न्यास, कोटा में सुरक्षित रहेगा तथा स्वीकृति के पश्चात निर्धारित समय में शेष राशि जमा करवानी होगी।
(8) सुखांड पर निर्माण से पूर्ण नार विकास न्यास, कोटा से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मानचित स्वीकृत करवाना होगा।
(9) सुखांड 99 वर्ग फैदारी पर राजस्थान नगर सुखांड (नगरीय भूमि नियस्तारण) नियम 1974 के अनुसार नीलाम किया जावेगा, जिसकी लीज राशि आरक्षित दर पर अलग से नियमानुसार जमा करवानी होगी।
(10) सुखांड जहां है, जिस अवस्था में है, के आधार पर नीलाम किया जावेगा।
(11) आरक्षित दर 7151/- प्रति वर्ग मीटर है।
(12) अन्य शर्ते कार्यालय में देखी जाए सकती है।

भूखण्ड की विशेषताएँ

तकनीकी मानदण्ड	विवरण में लागू भवन विनियम- 2013 (संशोधित) के अनुसार
सेट बैक :-	ग्रुप हाउसिंग ख.सं. 103, कंसुआ

- थेकडा से रायपुरा चौराहे जाने वाली सड़क पर स्थित
- आबादी के मध्य स्थित
- वायपास से लगभग 5 किमी. दूरी पर स्थित।
- रायपुरा मुख्य चौराहे के समीप।
- राज्य सरकार की स्वीकृति से देय अतिरिक्त FAR= 1.0
- आच्छादित क्षेत्र 35 प्रतिशत
- अन्य मानदण्ड :- 1. भवन विनियम 2013 (संशोधित) के अनुसार 2. मुख्य मंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों की पालना की जानी होगी।

अध्यक्ष

नगर विकास न्यास, कोटा

Website:- WWW.UTTKOTA.ORG FAX :0744-2500828

The Photograph is indicative only.

